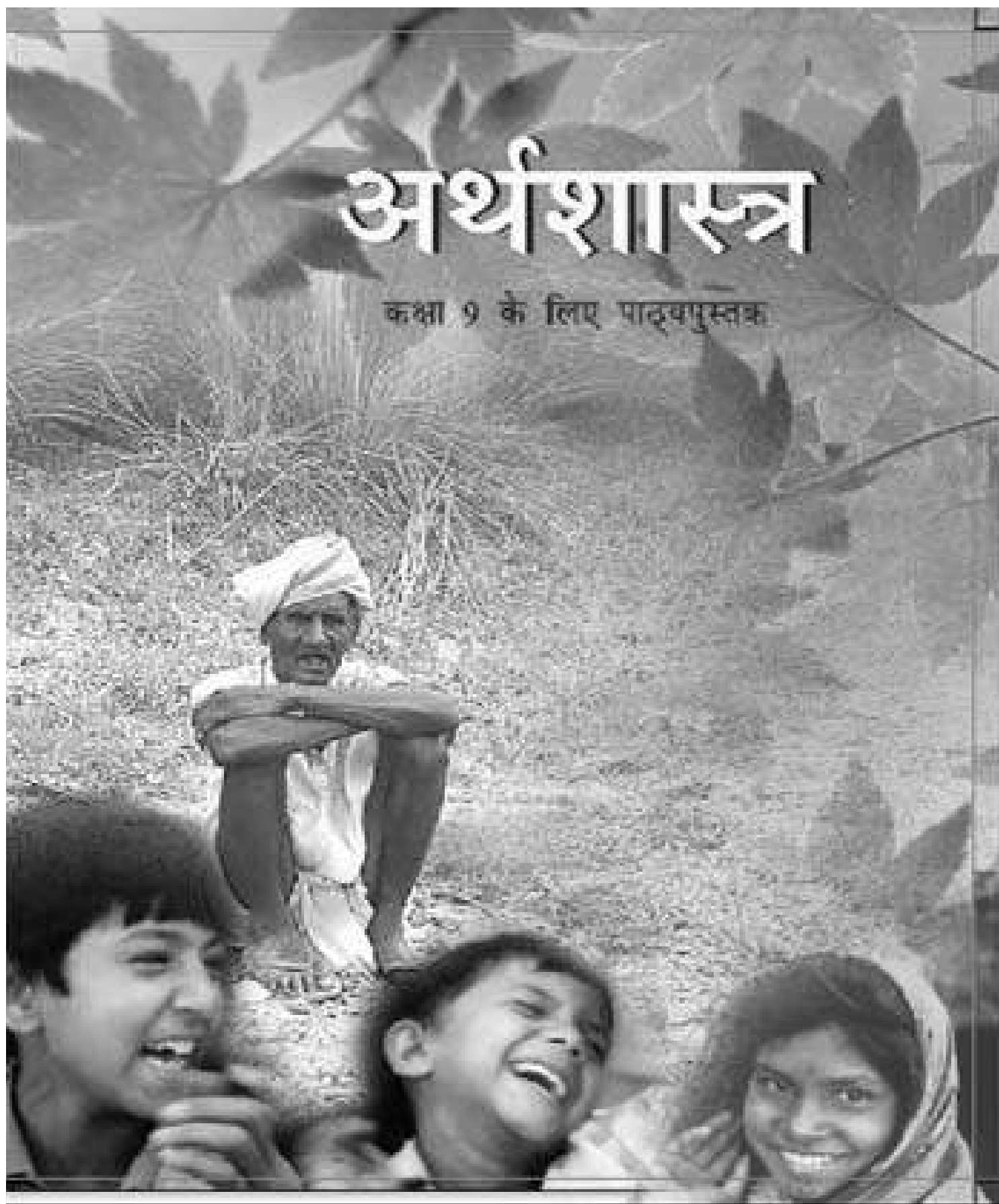


अर्थशास्त्र

कक्षा 9 के लिए पाठ्यपुस्तक



अर्थशास्त्र

कक्षा 9 के लिए पाठ्यपुस्तक



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 81-7450-523-7

प्रथम संस्करण

मार्च 2006 चैत्र 1927

पुनर्मुद्रण

नवंबर 2006 अग्रहायण 1928

अक्तूबर 2007 आश्विन 1929

PD 190T MK

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद्, 2006

रु. 25.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर
पर मुद्रित।

प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली
110 016 द्वारा प्रकाशित तथा इण्डिया ऑफसेट प्रिंटर्स,
एक्स-36, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली-110020
से मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। खंड की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन विभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैम्पस

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

दूरभाष : 011-26562708

108, 100 फीट रोड

हेली एक्सटेंशन, होस्टेज

बनारसकरी III स्ट्रेज

बैंगलूर 560 085

दूरभाष : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

दूरभाष : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैम्पस

निकट : धनकल बस स्टॉप

पुनहटी

कोलकाता 700 114

दूरभाष : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स

मालीगांव

गुवाहाटी 781021

दूरभाष : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन विभाग : पेय्येति राजाकुमार

मुख्य उत्पादन अधिकारी : शिव कुमार

मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल

मुख्य व्यापार अधिकारी : गौतम गांगुली

संपादक : मीरा कांत

उत्पादन सहायक : ओम प्रकाश

सज्जा एवं आवरण

निधि बाधवा

चित्रांकन

सविता वर्मा

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएंगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज्ञादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन और पाठ्यपुस्तक समिति के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर तापस मजूमदार की विशेष आभारी हैं। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृगाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली
20 दिसंबर 2005

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता।

मुख्य सलाहकार

तापस मजूमदार, एमेरिटस प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली।

समिति

गुलशन सचदेवा, एसोसिएट प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र, जे.एन.यू. नयी दिल्ली।

नूतन पुंज, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र), केंद्रीय विद्यालय, सीमा सुरक्षा बल, नजफगढ़, नयी दिल्ली।

सुकन्या बोस, वरिष्ठ अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र शोध फाउंडेशन, 124 ए/1 कटवारिया सराय, नयी दिल्ली।

सदस्य समन्वयक

जया सिंह, प्रवक्ता, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

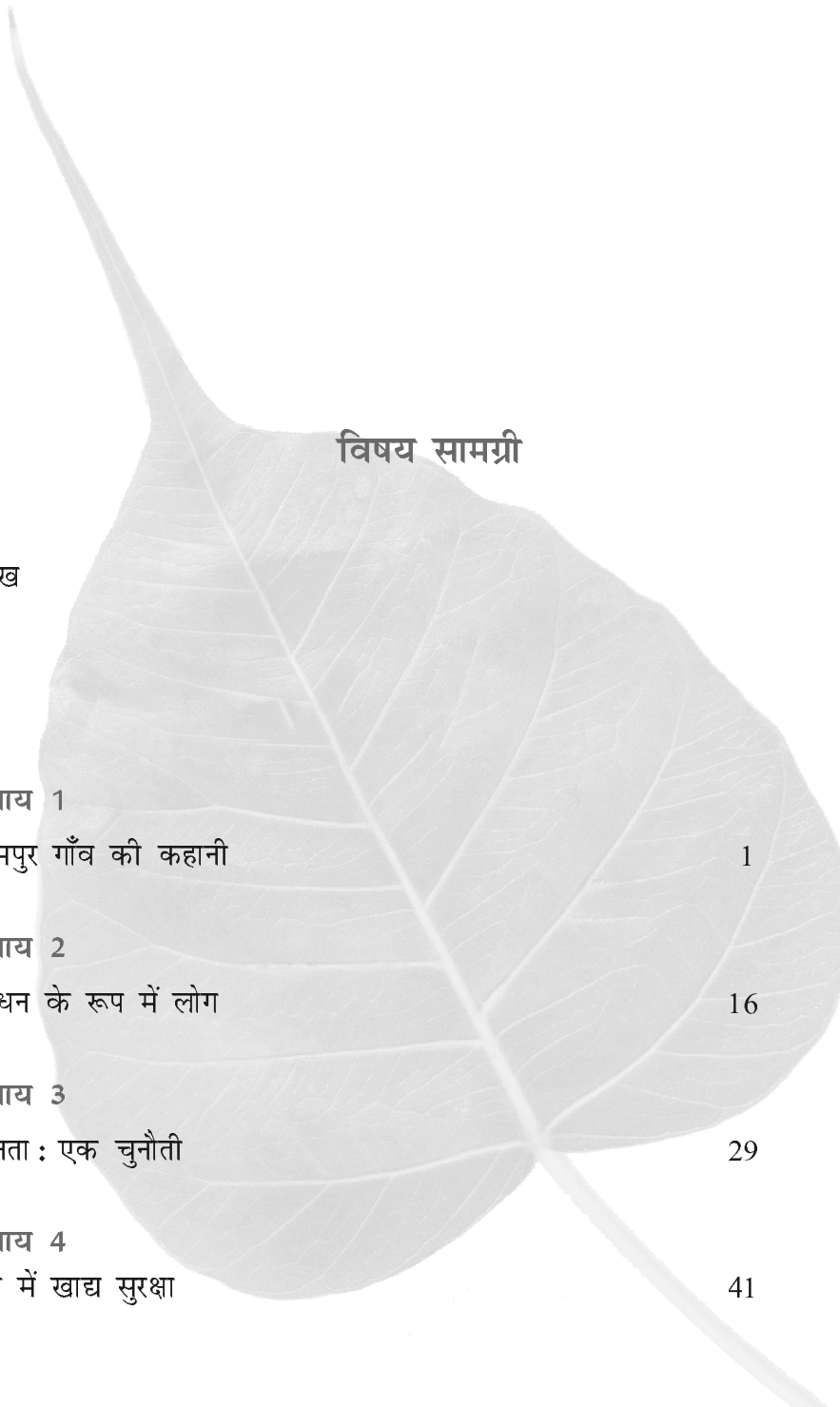
आभार

परिषद् उन सभी लेखकों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने पुस्तक के लेखन का कार्य किया है। हम जनमेजय खूंतिया, *वरिष्ठप्रवक्ता*, स्कूल ऑफ कॉरस्पोंडेंस कोर्सेज़, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली; अरविंद सरदाना, एकलव्य, साकेत नगर, देवास, मध्य प्रदेश और एन.सी.ई.आर.टी. के सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा विभाग की नीरजा रश्मि, *प्रवाचक* एवं एम.वी. श्रीनिवासन, *प्रवक्ता* के भी आभारी हैं; जिन्होंने पुस्तक को अंतिम रूप देने में सहायता की।

हम सुंदर चंद्र ठाकुर, *संपादक*, नवभारत टाइम्स, को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद का कार्य किया। हम इनके भी आभारी हैं: प्रेम दास (अवकाश प्राप्त), वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग; ओ. पी. अग्रवाल, *प्रोफेसर* (अवकाश प्राप्त), मेरठ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश; एच. के. गुप्ता, बाबूराम राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, शाहदरा, दिल्ली; ए. एस. गर्ग, *उपप्रधानाचार्य*, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, गांधीनगर, दिल्ली; डी. एस. मिश्रा, *टी.जी.टी.* (सामाजिक विज्ञान), राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय, बेगमपुर, दिल्ली; जिन्होंने अनुवाद के पुनरीक्षण हेतु आयोजित कार्यशालाओं में भाग लिया और अपना बहुमूल्य योगदान किया।

पुस्तक के विकास में सहयोग के लिए हम सविता सिन्हा, *प्रोफेसर एवं अध्यक्ष*, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हर संभव सहयोग दिया।

पुस्तक के विकास के विभिन्न चरणों में सहयोग के लिए *डी.टी.पी.ऑपरेटर* दिपेंद्र कुमार, *प्रूफरीडर* विभोर सिंह, *कॉपीएडिटर* विनय शंकर पांडेय व सुप्रिया गुप्ता, *कंप्यूटरस्टेशन इंचार्ज* दिनेश कुमार के भी हम आभारी हैं। प्रकाशन विभाग द्वारा हमें पूर्ण सहयोग एवं सुविधाएँ प्राप्त हुईं, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।



विषय सामग्री

आमुख

i

i

i

अध्याय 1

पालमपुर गाँव की कहानी

1

अध्याय 2

संसाधन के रूप में लोग

16

अध्याय 3

निर्धनता : एक चुनौती

29

अध्याय 4

भारत में खाद्य सुरक्षा

41

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखंडता

सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

मिश्रीलाल की कहानी

मिश्रीलाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है, जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्रीलाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उससे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्रीलाल थोड़ा लाभ कमा लेता है।



करीम की कहानी

करीम ने गाँव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल लिया है। हाल के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गाँव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गाँव में दो महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएँ प्रारंभ की। हाईस्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया है।



आइए चर्चा करें

- मिश्रीलाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूँजी की जरूरत पड़ी?
- इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है?
- क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्रीलाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है?
- क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे उसे हानि भी हो सकती है।
- मिश्रीलाल अपना गुड़ गाँव में न बेचकर शाहपुर के व्यापारियों को क्यों बेचता है?

3. पालमपुर के दुकानदार

पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार (वस्तु-विनिमय) नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं, जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएँ खरीदते हैं और उन्हें गाँव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गाँव में छोटे जनरल स्टोर्स में चावल, गेहूँ, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथ पेस्ट, बैट्री, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पैन, पैसिल यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। वे खाने की चीजें बेचते हैं।

आइए चर्चा करें

- करीम की पूँजी और श्रम किस रूप से मिश्रीलाल की पूँजी और श्रम से भिन्न है?
- इससे पहले किसी और ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया? संभावित कारणों की चर्चा कीजिए।

4. परिवहन : तेज़ी से विकसित होता एक क्षेत्र

पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शावाले, ताँगेवाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले, वे लोग हैं, जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है।

किशोर की कहानी

किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भाँति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर-परिवार की आवश्यकताएँ पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था, जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता



अवलोकन

‘संसाधन के रूप में लोग’ अध्याय जनसंख्या की, अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में, व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूँजी में बदल जाती है। वास्तव में, **मानव पूँजी** कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है।

‘संसाधन के रूप में लोग’ वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना **सकल राष्ट्रीय उत्पाद** के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भाँति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है—‘एक मानव संसाधन’। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है, जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुँच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है, तब हम इसे **मानव पूँजी निर्माण** कहते हैं, जो भौतिक पूँजी निर्माण की ही भाँति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है।

मानव पूँजी में निवेश (शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा) भौतिक पूँजी की ही भाँति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है।

भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूँजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है।

स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार





चित्र 2.1 : मानव पूँजी



आइए चर्चा करें

- चित्र 2.1 को देख कर क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर तथा दर्जी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार परिसंपत्ति हैं?

उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुँचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वास्थ्य सेवाएँ उन्हें प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में, मानव पूँजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे, भूमि और भौतिक पूँजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूँजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूँजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते।

अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा है।

लेकिन, यह आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूँजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है (उदाहरण के लिए, सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा)।

निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं :

सकल की कहानी

दो मित्र विलास और सकल एक ही गाँव सेमापुर में रहते थे। सकल की आयु बारह वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का काम-काज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। सकल घर के काम-काज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा सकल पढ़े-लिखे। वे उस पर गाँव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने सकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। सकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात् उसे एक प्राइवेट फ़र्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ़्टवेयर को डिज़ाइन भी किया। इस सॉफ़्टवेयर से फ़र्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी।





चित्र 2.2 : विलास एवं सकल की कहानियाँ

विलास की कहानी

विलास ग्यारह वर्ष का एक लड़का था और वह सकल के ही गाँव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल दो वर्ष का था, तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला-पोसा। वह ज़मींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 20 से 30 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता तथा अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता। कुछ समय पश्चात् उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गाँव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था।

आइए चर्चा करें

- क्या दोनों मित्रों के बीच आप कोई अंतर पाते हैं? वे कौन से अंतर हैं?

क्रियाकलाप

पास के किसी गाँव या झुग्गी इलाके में जाएँ और अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें, जो विलास या सकल जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहा हो।

इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था, जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार-बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फ़र्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा, जो उसकी माँ करती थी। अपनी माँ की ही तरह, परिवार को पालने-पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी।

सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की संवृद्धि में योगदान देती है। इसके

बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकती। वह अपनी माँ की भाँति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता। इसीलिए वह अपनी माँ की ही तरह अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था।

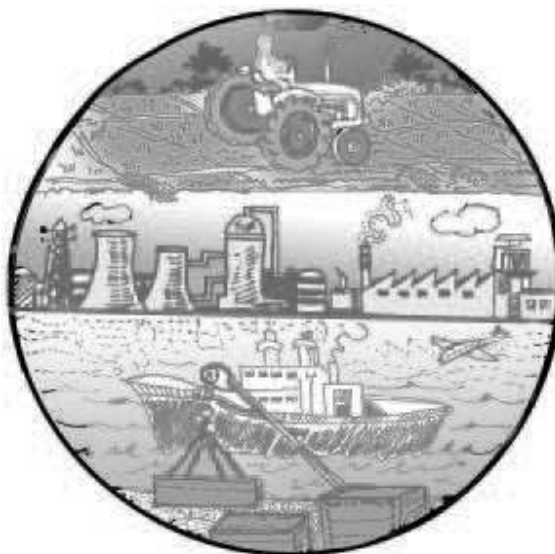
मानव संसाधन में (शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा) निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूँजी में निवेश की ही तरह है। व्यक्ति शेरों तथा बांडों में भविष्य में उच्च प्रतिफल की आशा से निवेश करता है।

एक बच्चा भी, जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ-बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत, स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधावंचित स्थिति में रहने वाले माँ-बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं।

जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी / विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूँजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया है। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की उसी से ये देश धनी / विकसित बने।

पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप

विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियाँ बेचता था और सकल को एक फ़र्म में नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रों-प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन और खनन शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में उत्खनन और विनिर्माण शामिल हैं। तृतीयक क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएँ इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस क्षेत्रक में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य-वर्धन करते हैं। ये क्रियाएँ आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं- बाज़ार क्रियाएँ और गैर-बाज़ार क्रियाएँ। बाज़ार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर-बाज़ार क्रियाओं से अभिप्राय स्व-उपभोग के लिए उत्पादन



चित्र 2.3 : क्या आप इस चित्र के आधार पर क्रियाकलापों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत कर सकते हैं?



है। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है।

क्रियाकलाप

अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गाँव अथवा कॉलोनी में जाएँ और उस गाँव अथवा कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें।

अगर यह संभव नहीं है तो अपने पड़ोसियों से पूछें कि उनका व्यवसाय क्या है? उनके काम को आप तीन क्षेत्रों में से किस क्षेत्रक में रखेंगे?

बताइए कि ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएँ हैं या गैर-आर्थिक:

विलास गाँव के बाज़ार में मछली बेचता है।

विलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है।

सकल एक प्राइवेट फ़र्म में काम करता है।

सकल अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है।



ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएँ घर के काम-काज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ़ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफ़ाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाज़ार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं।

शीला परिवार के पालन-पोषण के लिए जो सेवाएँ प्रदान करती है, उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है, जिसे वह परिवार के पालन-पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता, जो कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग है।

विलास की माँ गीता मछली बेच कर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान

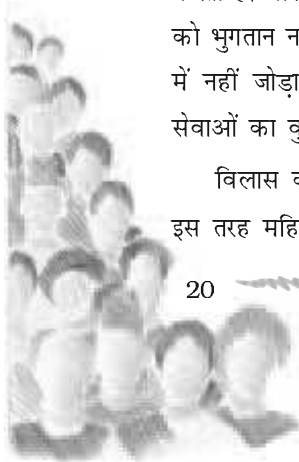
किया जाता है, जब वे श्रम-बाज़ार में प्रवेश करती हैं। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय, उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाज़ार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएँ वहाँ काम करती हैं, जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है। अनियमित रोज़गार और निम्न आय इस क्षेत्रक की विशेषताएँ हैं। इस क्षेत्रक में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं। तथापि, उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्रक में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछें कि वह क्या बनना चाहती है?

जनसंख्या की गुणवत्ता

जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता-दर, जीवन-प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की संवृद्धि-दर निर्धारित करती है। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं।

शिक्षा

अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नयी आकांक्षाएँ दीं और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल





चित्र 2.4 : विद्यालय के छात्र-छात्रा

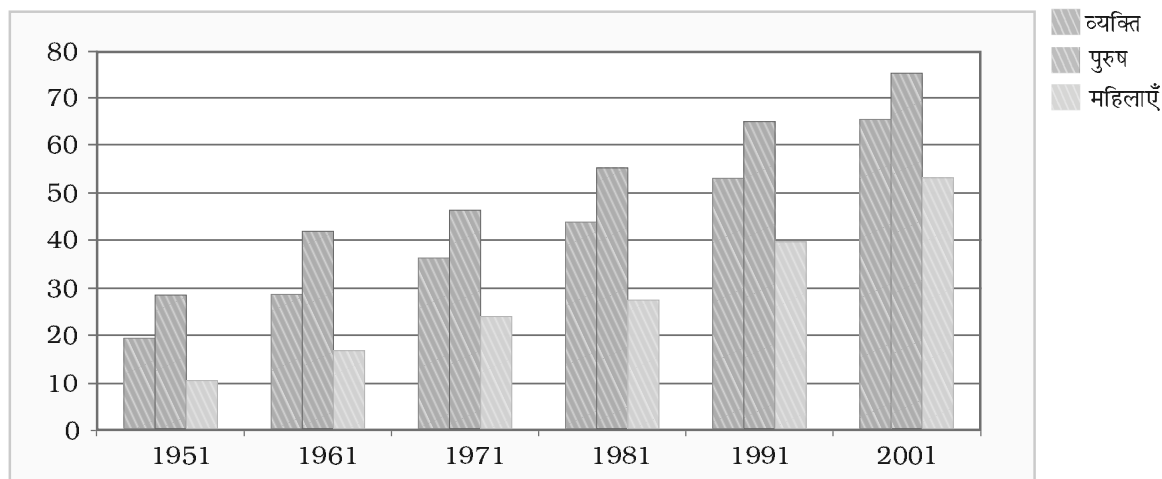
सकल के लिए, बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य-क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक

...व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, जिसे बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानीपूर्वक संजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न शृंखला है। ...इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए।



स्रोत : राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

आरेख 2.1 : भारत में साक्षरता-दर



स्रोत : भारतीय जनगणना 2001, शृंखला 1, भारत पत्र 2001

शिक्षा में सार्वजनिक पहुँच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगतिनिर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएँ विकसित की गई हैं। शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपये से बढ़ कर दसवीं पंचवर्षीय योजना में 43,825 करोड़ रुपये हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के



आइए चर्चा करें

आरेख 2.1 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें:

- क्या 1951 से जनसंख्या की साक्षरता-दर बढ़ी है?
- किस वर्ष भारत में साक्षरता-दर सर्वाधिक रही?
- भारत में पुरुषों में साक्षरता-दर अधिक क्यों है?
- पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ कम शिक्षित क्यों हैं?
- आप भारत में लोगों की साक्षरता-दर का परिकलन कैसे करेंगे?
- 2010 में भारत की साक्षरता-दर का आपका पूर्वानुमान क्या है?

संसाधन के रूप में लोग



क्रियाकलाप

अपनी कक्षा या अपने पड़ोस के सहशिक्षा विद्यालय में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की गणना करें। अपने स्कूल प्रशासक से कहें कि वे आपको पाँच वर्ष और दस वर्ष से कम आयु के लड़के और लड़कियों की संख्या के आँकड़े उपलब्ध कराएँ। अगर उनमें कोई अंतर है, तो उसका अध्ययन करें और कक्षा में उसकी व्याख्या करें।



प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 के 0.64 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 3.98 प्रतिशत (बजटीय अनुमान) हो गया है। इससे साक्षरता-दर 1951 के 18 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 65 प्रतिशत हो गई है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि, जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता-दर करीब 50 प्रतिशत अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता-दर करीब 50 प्रतिशत अधिक है। केरल के कुछ जिलों में साक्षरता-दर 96 प्रतिशत है जबकि मध्य प्रदेश के कुछ भागों में यह 30 प्रतिशत से नीचे है। प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 5, 00, 000 से भी अधिक गाँवों में फैली है। दुर्भाग्यवश, स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को

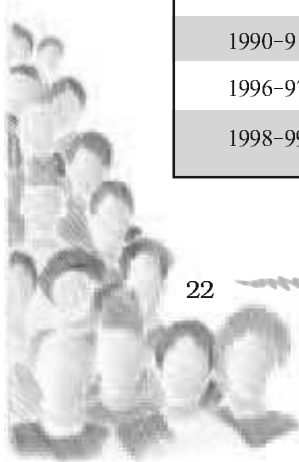
वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में **सर्वशिक्षा अभियान** एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों, स्थानीय सरकारों और **प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य** को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है। इसके साथ ही, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए 'सेतु-पाठ्यक्रम' और 'स्कूल लौटो शिविर' प्रारंभ किए गए हैं। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए **दोपहर के भोजन** की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

दसवीं योजना में योजना अवधि के अंत तक उच्च शिक्षा में 18-23 वर्ष आयु वर्ग के नामांकन में वर्तमान 6 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक की वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। यह रणनीति पहुँच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यावसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1951 से 1999 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, छात्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती को सारणी 2.1 में देखें:

सारणी 2.1 : उच्च शिक्षा के संस्थानों की संख्या, नामांकन तथा संकाय

वर्ष	महाविद्यालयों की संख्या	विश्वविद्यालयों की संख्या	विद्यार्थी	शिक्षक
1950-51	750	30	2, 63,000	24,000
1990-91	7, 346	177	49, 25, 000	2, 72,000
1996-97	9, 703	214	67, 55, 000	3, 21,000
1998-99	11,089	238	74, 17, 000	3, 42,000

स्रोत : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वार्षिक रिपोर्ट 1996-97 तथा 1998-99 और चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय



आइए चर्चा करें

सारणी 2.1 की कक्षा में चर्चा करें तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दें :

- क्या विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को प्रवेश देने के लिए कॉलेजों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है?
- क्या आप सोचते हैं कि हमें विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए?
- वर्ष 1950-51 से वर्ष 1998-99 तक शिक्षकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है?
- भावी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के बारे में आपका क्या विचार है?

स्वास्थ्य

फ़र्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फ़र्म ऐसे व्यक्तियों को रोज़गार देने के लिए प्रेरित होगी, जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाएँ?

किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अस्वस्थ लोग



चित्र 2.5 : स्वास्थ्य की जाँच के लिए एक पंक्ति में खड़े हुए बच्चे

किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। वास्तव में, स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुँच को बेहतर बनाना है। पिछले पाँच दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारिक संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है।

इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़ कर वर्ष 2000 में 64 वर्ष अधिक हो गई है। शिशु मृत्यु-दर* 1951 के 147 से घटकर 2000 में 75 पर आ गई है। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर** गिर कर 26.1 और मृत्यु-दर*** 8.7 पर आ गई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को, भावी प्रगति के साथ, आँकने के लिए उपयोगी है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु-दर घटती है।



स्रोत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002

आइए चर्चा करें

सारणी 2.2 को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

- 1951 से 2001 तक औषधालयों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
- 1951 से 2001 तक डॉक्टरों और नर्सिकर्मियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

*शिशु मृत्यु-दर से अभिप्राय एक वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है।

**जन्म-दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति एक हजार व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या से है।

***मृत्यु-दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति एक हजार व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या से है।



सारणी 2.2 : संबंधित वर्षों की स्वास्थ्य आधारिक संरचना

	1951	1981	2001
H उपकेंद्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	725	57,363	1,63,181
 औषधालय तथा अस्पताल	9,209	23,555	43,322
 बिस्तर	1,17,198	5,69,495	8,70,161
 डॉक्टर (ऐलोपेथी)	61,800	2,68,700	5,03,900
 नर्सिंगकर्मी	18,054	1,43,887	7,37,000

स्रोत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002

- क्या आपको लगता है कि डॉक्टरों और नर्सों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त है? यदि नहीं तो क्यों?
- किसी अस्पताल में आप और कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध कराना चाहेंगे?
- आप हाल में जिस अस्पताल में गए, उस पर चर्चा करें
- इस सारणी का प्रयोग करते हुए क्या आप एक आरेख बना सकते हैं?

क्रियाकलाप

आप निकट के किसी सरकारी या निजी अस्पताल में जाएँ और निम्नलिखित विवरण नोट करें—

जिस अस्पताल में आप गए, उसमें कितने बिस्तर हैं?

अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं?

अस्पताल में कितनी नर्सें कार्यरत हैं?

इसके अलावा निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएँ एकत्रित करने का प्रयास करें :

आपके इलाके में कितने अस्पताल हैं?

आपके इलाके में कितने औषधालय हैं?

भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएँ भी नहीं हैं। केवल चार राज्यों जैसे—कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में कुल 181 मेडिकल कॉलेजों में से 81 मेडिकल कॉलेज हैं। दूसरी तरफ, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में निम्न स्वास्थ्य सूचक हैं तथा यहाँ बहुत ही कम मेडिकल कॉलेज हैं।

बेरोज़गारी

सकल की माँ शीला अपने घरेलू काम-काज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। सकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने-फिरने में गुज़ारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोज़गार कह सकते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

बेरोज़गारी उस समय विद्यमान कही जाती है, जब प्रचलित मज़दूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोज़गार नहीं पा सकें। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम-शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती और न ही जीतू, सीतू और शीला को बेरोज़गार कहा

जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं, जिनकी उम्र 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है। सकल के भाई और बहन इस आयु वर्ग में नहीं आते। इसलिए उन्हें बेरोज़गार नहीं कहा जा सकता। सकल की माँ शीला परिवार के लिए काम करती है। वह अपने घर से बाहर जाकर पारिश्रमिक के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है। उसे भी बेरोज़गार नहीं कहा जा सकता। सकल के दादा-दादी और नाना-नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोज़गार नहीं कहा जा सकता।

भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी है। तथापि, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में **मौसमी** और **प्रच्छन्न बेरोज़गारी** है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः **शिक्षित बेरोज़गारी** है।

मौसमी बेरोज़गारी तब होती है, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता।

प्रच्छन्न बेरोज़गारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है, जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में पाँच लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें आठ लोग लगे होते हैं। इनमें तीन लोग अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं जिस पर पाँच लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान पाँच लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। अगर तीन लोगों को हटा दिया जाए, तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में पाँच लोगों के काम की आवश्यकता है और तीन अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से नियोजित होते हैं।

शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोज़गारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोज़गार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोज़गारी अधिक तेज़ी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति-स्थिति सामने

आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के आधिक्य के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक ओर तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोज़गारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है।

बेरोज़गारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं, बेरोज़गारी के कारण दायित्व में बदल जाते हैं। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ, जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोज़गार प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है।

बेरोज़गारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोज़गारों की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन-निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है, तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है।

इसलिए, किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोज़गारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोज़गारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है, जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता था। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका, तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे।

सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोज़गारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं। इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते। वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी



भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं।

इसके अतिरिक्त, प्राथमिक क्षेत्रक में स्वरोजगार एक विशेषता है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर



चित्र 2.6 : क्या आपको स्मरण है कि जब आपने अपने जूते या चप्पल ठीक कराए थे, तो कितना भुगतान किया था?

भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्रक में प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। लेकिन, जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती। खेत के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है। लेकिन, इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्येक परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गाँवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं।

आइए, उपरोक्त तीनों क्षेत्रकों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण, कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में चला गया है। द्वितीयक क्षेत्रक में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तृतीयक क्षेत्रक में जैव-प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नयी सेवाएँ सामने आ रही हैं।

आइए, यह जानने के लिए एक कहानी पढ़ें कि कैसे लोग अपने गाँव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं।

एक गाँव की कहानी

एक गाँव था, जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा-पी सकें। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएँ स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात्, वह कृषि-इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गाँव वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूँ की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गाँव में ऐग्रो-इंजीनियरिंग का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गाँव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गाँव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिसे उन्होंने आपस में बाँट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात् गाँव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गाँव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। इस गाँव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात्, गाँव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गाँव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह, दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा।

किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएँ थीं। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गाँव के बाज़ार में आते थे। समय के साथ वह गाँव, जहाँ प्रारंभ में किसी नए काम का

औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था—शिक्षक, दर्जी, ऐग्रो-इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गाँव की कहानी थी, जहाँ मानव पूँजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया।



सारांश

आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगंतु किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती हैं। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। हमने बेरोज़गारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। अंततः अध्याय एक गाँव की कहानी के साथ समाप्त होता है जिसमें पहले कोई रोज़गार नहीं था, पर बाद में वहाँ रोज़गार के अनेक अवसर उत्पन्न हो गए।



अभ्यास

1. 'संसाधन के रूप में लोग' से आप क्या समझते हैं?
2. मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूँजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है?
3. मानव पूँजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है?
4. मानव पूँजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है?
5. किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है?
6. प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएँ संचालित की जाती हैं?
7. आर्थिक और गैर-आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है?
8. महिलाएँ क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं?
9. 'बेरोज़गारी' शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे?
10. प्रच्छन्न और मौसमी बेरोज़गारी में क्या अंतर है?
11. शिक्षित बेरोज़गारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है?
12. आप के विचार से भारत किस क्षेत्रक में रोज़गार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है?
13. क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोज़गारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं?
14. क्या आप कुछ ऐसे गाँवों की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पहले रोज़गार का कोई अवसर नहीं था, लेकिन बाद में बहुतायत में हो गया?
15. किस पूँजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं—भूमि, श्रम, भौतिक पूँजी और मानव पूँजी? क्यों?





संदर्भ

- आर्थिक सर्वेक्षण 2004-05, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 का मध्यावधि मूल्यांकन, भाग-2, योजना आयोग, नयी दिल्ली।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07, योजना आयोग, नयी दिल्ली।
- भारत दर्शन 2020, प्रतिवेदन, योजना आयोग, भारत सरकार, नयी दिल्ली।
- गैरी, एस. बेकर, 1966, *ह्यूमन कैपिटल : ए थ्योरिटिकल एंड एंपिरिकल एनालिसिस विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन*, जनरल सीरीज, नंबर 80, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकानामिक रिसर्च, न्यूयार्क।
- थ्योडोर, डब्ल्यू. शुल्टज़, *इंवेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल*, अमेरिकन इकानॉमिक रिव्यू, मार्च 1961.



अवलोकन

इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात् यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है।

परिचय

अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गाँवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण-स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले

बाल-श्रमिक भी। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में, देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि भारत में मोटे तौर पर 26 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है।

निर्धनता के दो विशिष्ट मामले**शहरी निर्धनता**

तैंतीस वर्षीय रामसरन झारखंड में राँची के निकट गेहूँ के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोज़गार मिलता है, तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह छह सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के चार बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप



चित्र 3.1 : रामसरन की कहानी



गाँव में रह रहे अपने बूढ़े माता-पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामसरन और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर हैं। रामसरन शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराये पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक कामचलाऊ झोंपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में दो बार दाल और चावल का अल्प-भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के पास दो जोड़े फटे-पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं, जब पुराने बिलकुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प-पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं, तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती।



ग्रामीण निर्धनता

लक्खा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गाँव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे-मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं। लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। आठ सदस्यों का परिवार हमेशा दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लक्खा सिंह गाँव के बाहर एक कच्ची झोंपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएँ पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियाँ बीनने में ही गुज़ार देती हैं। उसके पिता की, जो तपेदिक के मरीज़ थे, चिकित्सा के अभाव में दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे-धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लक्खा वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है।



चित्र 3.2 : लक्खा सिंह की कहानी

निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबद्ध निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें :

- भूमिहीनता
- बेरोज़गारी
- परिवार का आकार
- निरक्षरता
- खराब स्वास्थ्य / कुपोषण
- बाल-श्रम
- असहायता



ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है, जब माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफ़ाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोज़गार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता।

अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा, जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा।

सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता

चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं, जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोज़गार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है (देखें बाक्स)।

सामाजिक अपवर्जन

इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है।

सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं, जिनका उपभोग दूसरे (उनसे 'अधिक अच्छे') करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति-व्यवस्था की कार्य-शैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार, सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुँचा सकता है।

असुरक्षा

निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों (जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य) या व्यक्तियों (जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति) के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा, इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं (भूकंप, सुनामी), आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में, जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है।



निर्धनता रेखा

निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतया 'निर्धनता रेखा' की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी



व्यक्ति को निर्धन माना जाता है, यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे 'न्यूनतम स्तर' से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएँ विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है।

भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएँ जैसे—अनाज, दालें, सब्जियाँ, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएँ बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रतिव्यक्ति मौद्रिक व्यय को, कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रतिमाह किया गया था।

कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार, वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला पाँच सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा, यदि उसकी आय लगभग 1,640 रुपये प्रतिमाह से कम है। इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएँ पूरा करने के लिए कम से कम 2,270 रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय-समय पर (सामान्यतः हर पाँच वर्ष पर) प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन** अर्थात् नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा कराए जाते हैं, तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे एक डॉलर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर।

झाड़ू चर्चा करें

- विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं?
- आपके अनुसार आपके क्षेत्र में 'न्यूनतम आवश्यक स्तर' क्या होगा?

निर्धनता के अनुमान

तालिका 3.1 से यह स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55 प्रतिशत से वर्ष 1993 में 36 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिर कर 26 प्रतिशत पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20 प्रतिशत से भी नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दो दशकों (1973-93) में गिरा है, निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही। नवीनतम अनुमान, निर्धनों की संख्या में कमी, लगभग 26 करोड़ उल्लेखनीय गिरावट का संकेत देते हैं।



तालिका 3.1 : भारत में निर्धनता के अनुमान

वर्ष	निर्धनता अनुपात (प्रतिशत)			निर्धनों की संख्या (करोड़)		
	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त योग
1973-74	56.4	49.0	54.9	26.1	6.0	32.1
1993-94	37.3	32.4	36.0	24.4	7.6	32.0
1999-00	27.1	23.6	26.1	19.3	6.7	26.0

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2002-03, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार



आइए चर्चा करें

तालिका 3.1 का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

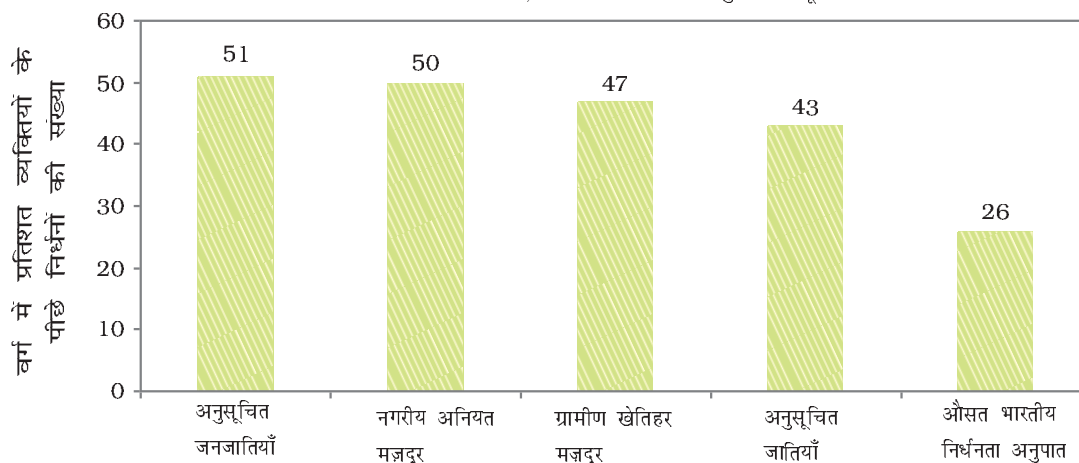
- 1973-74 और 1993-94 के मध्य निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 32 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही?
- क्या भारत में निर्धनता में कमी की गतिकि ग्रामीण और शहरी भारत में समान है?

असुरक्षित समूह

निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी

प्रकार, आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। निम्नलिखित आरेख 3.1 इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 26 है, अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 51 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 50 प्रतिशत भूमिहीन कृषि श्रमिक और 43 प्रतिशत अनुसूचित जातियाँ भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधावंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। हाल के कुछ

आरेख 3.1 : भारत में निर्धनता, 2000 – सर्वाधिक असुरक्षित समूह



सामाजिक समूह और आर्थिक वर्ग

स्रोत : रिपोर्ट ऑन एंग्लायमेंट एंड अनएंग्लायमेंट अमोंग सोशल ग्रुप्स इन इंडिया न. 469, 472, एन.एस.एम.ओ., मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया





चित्र 3.3 : शिवरमन की कहानी

अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़ कर अन्य सभी तीनों समूहों (अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार) में निर्धनता में कमी आई है।

इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित किया जाता है। इसलिए महिलाएँ, शिशु (विशेषकर बच्चियाँ) और वृद्ध निर्धनों में भी निर्धन होते हैं (देखें बाक्स)।

शिवरमन की कहानी

शिवरमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गाँव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजलीकरघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गाँव में 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन आर्युथार्थियार (मोची) जाति का है और अब वह 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र पाँच या छह महीने मिलता है। अन्य समय में वह गाँव में दूसरे छोटे-मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है। लेकिन इन दिनों उसे कभी-कभी ही काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है, उसे 25 रुपये प्रतिदिन मिलता है। परिवार में आठ सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ



बीमार है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और उसके अपने चार बच्चे हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच है। उनमें से तीन लड़कियाँ हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएँ खरीदना विलासिता है और उसके बस से बाहर है। फिर एक दिन उनकी शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूँढ़ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को दो जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है, शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी-कभी दूध खरीद लेता है।



आइए चर्चा करें

अपने आस-पास के कुछ निर्धन परिवारों का अवलोकन करें और यह पता लगाने का प्रयास करें कि :

- वे किस सामाजिक और आर्थिक समूह से संबद्ध हैं?
- परिवार में कमाने वाले सदस्य कौन हैं?
- परिवार में वृद्धों की स्थिति क्या है?
- क्या सभी बच्चे (लड़के और लड़कियाँ) विद्यालय जाते हैं?

अंतर्राष्ट्रीय असमानताएँ

भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न

राज्यों में अलग-अलग है। हाल के अनुमान दर्शाते हैं कि 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। दूसरी ओर, निर्धनता अब भी उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। जैसा कि आरेख 3.2 दर्शाता है, उड़ीसा और बिहार क्रमशः 47 और 43 प्रतिशत निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है।

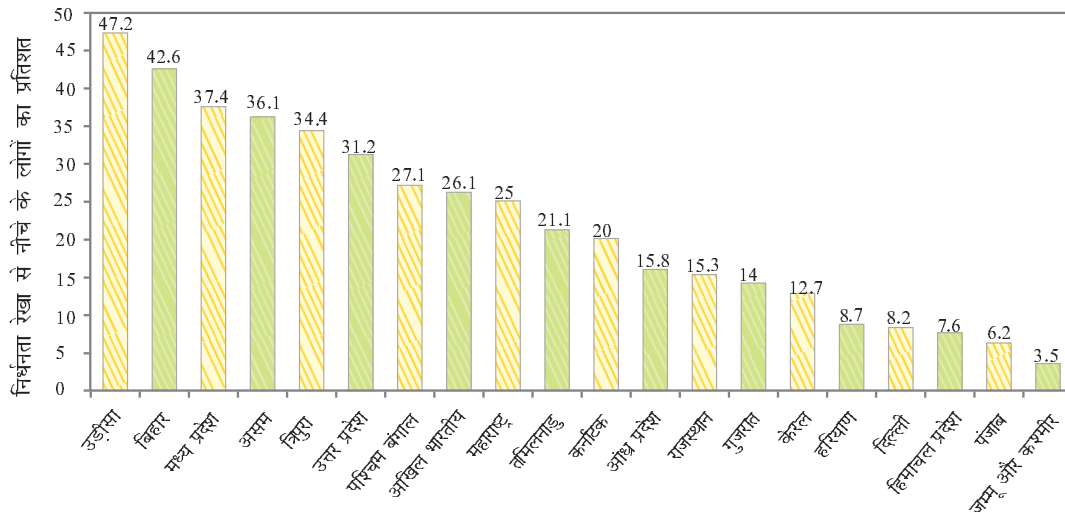
इसकी तुलना में केरल, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है।

वैश्विक निर्धनता परिदृश्य

विकासशील देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता (विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1 डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह करना) में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 28 प्रतिशत से गिर कर 2001 में 21 प्रतिशत हो गया है। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहत क्षेत्रीय भिन्नताएँ पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 60.6 करोड़ से घट कर 2001 में 21.2 करोड़ हो गई है। दक्षिण एशिया के देशों (भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्ला देश, भूटान) में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के बावजूद निर्धनों की संख्या में थोड़ी ही कमी आई जो 1981 में 47.5 करोड़ से घट कर 2001 में 42.8 करोड़ रह गई है। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है।



आरेख 3.2 : भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात



स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2001-02, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

आइए चर्चा करें

आरेख का अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य करें :

- तीन राज्यों की पहचान करें जहाँ निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है।
- तीन राज्यों की पहचान करें जहाँ निर्धनता अनुपात सबसे कम है।

सब-सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 1981 के 41 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 46 प्रतिशत हो गई है (आरेख 3.3 देखें)। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। तालिका 3.2 अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा (अर्थात् 1 डॉलर प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या) की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के **सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों** ने 1 डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को वर्ष 2015 तक वर्ष 1990 के स्तर के आधे पर ले जाने की घोषणा है।

आइए चर्चा करें

आरेख 3.4 का अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य करें :

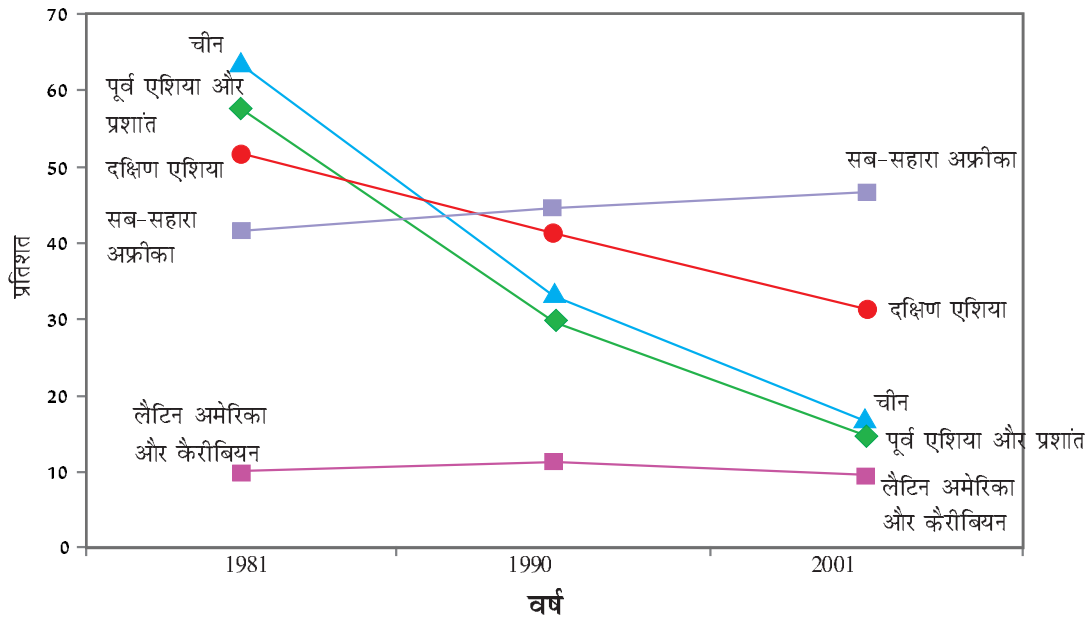
- विश्व के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहाँ निर्धनता अनुपात में गिरावट आई है।
- विश्व के उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ निर्धनों की संख्या सर्वाधिक है।

तालिका 3.2 : निर्धनता : कुछ चुनिंदा देशों के बीच तुलना

देश	1 डॉलर प्रतिदिन से कम पाने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत
1. नाइजीरिया	70.8
2. बांग्ला देश	36.0
3. भारत	35.3
4. पाकिस्तान	17.0
5. चीन	16.6
6. ब्राज़ील	8.2
7. इंडोनेशिया	7.5
8. श्रीलंका	5.6

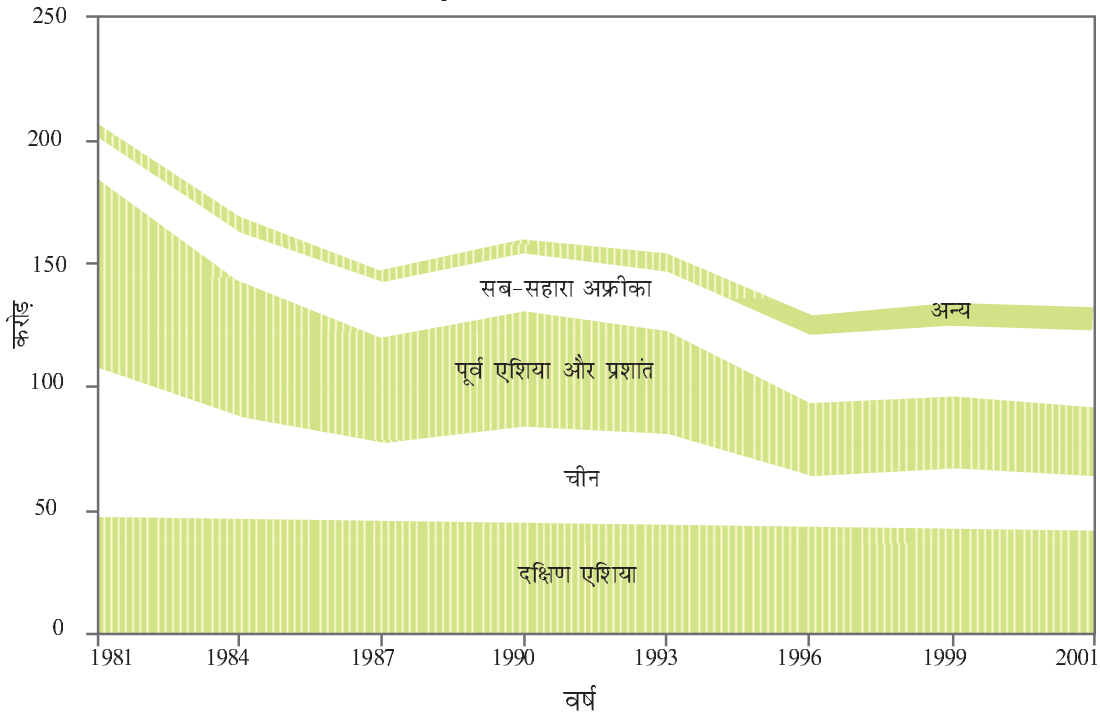
स्रोत : विश्व विकास रिपोर्ट, 2001

आरेख 3.3 : 1 डॉलर प्रतिदिन पर जीवन यापन करने वाले लोग, 1980-2001



स्रोत : विश्व विकास सूचक 2005, विश्व बैंक

आरेख 3.4 : क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या (1 डॉलर प्रतिदिन) करोड़ में



स्रोत : विश्व विकास सूचना 2005, विश्व बैंक



निर्धनता के कारण

भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ-साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रतिव्यक्ति आय की संवृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण, दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा।

सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्रक में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए। लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महँगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याएँ जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई।

उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अनेक नीतियों के बावजूद, हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति-पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। चूँकि भारत में भूमि-संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है, इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अनेक अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अतिनिर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत

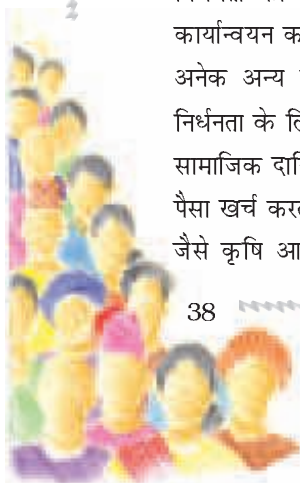
होती है। चूँकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है।

निर्धनता-निरोधी उपाय

निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता-निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों (1) **आर्थिक संवृद्धि** को प्रोत्साहन और (2) **लक्षित निर्धनता-निरोधी** कार्यक्रमों पर निर्भर है।

1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिव्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45 प्रतिशत का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक संवृद्धि-दर विश्व में सबसे अधिक रही। संवृद्धि-दर 1970 के दशक के करीब 3.5 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6 प्रतिशत के करीब पहुँच गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक संवृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक संवृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि, यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्रक में संवृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गाँव में रहता है और कृषि पर आश्रित है।

इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता-निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएँ हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005** (एन.आर. ई.जी.ए.) को सितंबर 2005 में पारित किया गया। यह विधेयक



प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। बाद में इस योजना का विस्तार 600 जिलों में किया जाएगा। प्रस्तावित रोजगारों का एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। केंद्र सरकार **राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष** भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए **राज्य रोजगार गारंटी कोष** की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना **राष्ट्रीय काम के बदले अनाज** कार्यक्रम है जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है, जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार एन.आर.ई.जी.ए. लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज (एन.एफ.डब्ल्यू.पी.) का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है, जिसे 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। **ग्रामीण रोजगार सृजन** कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। **स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना** का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता-प्राप्त निर्धन परिवारों को स्वसहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायिकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। **प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना** (2000 में आरंभ) के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एक और महत्वपूर्ण योजना **अंत्योदय अन्न योजना** है, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे।

इन कार्यक्रमों के मिले-जुले परिणाम हुए हैं। उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। इसके अतिरिक्त, कुछ योजनाएँ परस्पर-व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र, निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसलिए, हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है।

भावी चुनौतियाँ

भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले दस से पंद्रह वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक संवृद्धि, सर्वजनीन निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तीकरण के कारण संभव हो सकेगा।

लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के 'उचित' स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के 'न्यूनतम' स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार 'मानव निर्धनता' तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है? या घर है? या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है? या रोजगार की सुरक्षा है? या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को, केवल आय के संदर्भ में, न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियाँ हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे।





सारांश

आपने इस अध्याय में देखा कि निर्धनता के अनेक आयाम हैं। सामान्यतः इसे 'निर्धनता रेखा' की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है। इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता में मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक नयी अवधारणाओं के द्वारा समृद्ध हो रहा है। इसी प्रकार चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का 'मानव निर्धनता' में विस्तार कर रहे हैं।



अभ्यास

- 1 भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है?
- 2 क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है?
- 3 भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें।
- 4 भारत में निर्धनता में अंतर-राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें।
- 5 उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निरुपाय हैं।
- 6 भारत में अंतराज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए।
- 7 वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें।
- 8 निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें।
- 9 निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें :
(क) मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं?
(ख) निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन हैं?
(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?



संदर्भ

डेटन, ऐंगस एंड वैलेरी, कोजेल (सं.), 2005, *द ग्रेट इंडियन पावर्टी डिबेट*, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, नयी दिल्ली।
इकोनॉमिक सर्वे 2002-03, *चैप्टर ऑन सोशल सेक्टर*, [ऑनलाइन वेब] एचटीटीपी: / इंडिया बजट, एनआईसी.आईएन /
ईएस, 2002-03, सोशल एच.टी.एम, मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, नयी दिल्ली।
इकोनॉमिक सर्वे 2004-05, *चैप्टर ऑन सोशल सेक्टर*, [ऑनलाइन वेब] यूआरएल: एचटीटीपी / इंडिया बजट, एनआईसी.
आईएन / ईएस 2004-05, सोशल एच.टी.एम., मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, नयी दिल्ली।
मिडटर्म एप्रैज़ल ऑफ़ द टेन्थ फाइव ईयर प्लान 2002-07, भाग-दो, अध्याय-7: *पावर्टी एलिमिनेशन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट*
[आनलाइन वेब] एचटीटीपी: / डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू प्लानिंग कमीशन, एनआईसी.आईएन / मिडटर्म इंगलिश-पीडीएफ /
चैप्टर 07 पीडीएफ, प्लानिंग कमीशन, नयी दिल्ली।
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी ऐक्ट 2005 [आन लाइन वेब] एचटीटीपी: / रूरल एनआईसी.आईएन / राजस्व पीडीएफ।
टेन्थ फाइव ईयर प्लान 2002-07, अध्याय- 3.2, *पावर्टी एलीमिनेशन इन रूरल इंडिया: स्ट्रेटजी एंड प्रोग्राम्स*, [आनलाइन
वेब] एचटीटीपी: / डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू प्लानिंग कमीशन, एनआईसीआईएन / प्लान्स / प्लानरिल / फाइव ईयर / टेन्थ,
वालयूम-2 / वी-2 सीएच-3-2 पीडीएफ, प्लानिंग कमीशन, नयी दिल्ली।
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2000-01, *अटेकिंग पावर्टी*, द वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।



अवलोकन

खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है, तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा **सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति** में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है।

खाद्य सुरक्षा क्या है?

जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि साँस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र दो जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं :

- (क) खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है।
- (ख) पहुँच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे।
- (ग) सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो।

किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब

- (1) सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, (2) सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य-पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और (3) खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो।

खाद्य सुरक्षा क्यों?

समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं।

1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था—‘आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता’ (सं. रा. 1975)। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुँच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ-साथ उन वस्तुओं से है, जिनका उत्पादन और विनिमय बाज़ार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार, खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, 1995 में यह घोषणा की गई कि “वैयक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है, जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुँच सदैव हो” (खाद्य एवं कृषि संगठन 1996, पृष्ठ 3)। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि “खाद्य तक पहुँच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावश्यक है”



किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे, सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊँची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है, तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है।



अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं जो भुखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है।

भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था, वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में तीस लाख लोग मारे गए थे।

क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहनकर्मी और अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में सबसे अधिक वही मरे।



सारणी 4.1 : बंगाल प्रांत में चावल की उपज

वर्ष	उत्पादन (लाख टन)	आयात (लाख टन)	निर्यात (लाख टन)	कुल उपलब्धता (लाख टन)
1938	85	-	-	85
1939	79	04	-	83
1940	82	03	-	85
1941	68	02	-	70
1942	93	-	01	92
1943	76	03	-	79

स्रोत : सेन, ए.के., 1983, पृष्ठ 61 (देखें इस अध्याय का 'संदर्भ')



आइए चर्चा करें

- कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। सारणी 4.1 का अध्ययन करें और बताएँ कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं?
- किस वर्ष में खाद्य उपलब्धता में भारी कमी हुई?



चित्र 4.1 : राहत केंद्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग, 1945



चित्र 4.2 : 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगाँव ज़िले में गाँव छोड़ कर जाता हुआ एक परिवार।



सुझाव गठ कार्य

- (क) चित्र 4.1 में आप क्या देखते हैं?
- (ख) पहले चित्र में कौन सा आयु वर्ग दिख रहा है?
- (ग) क्या आप कह सकते हैं कि चित्र 4.2 में दिखाया गया परिवार गरीब है? क्यों?
- (घ) क्या आप अकाल पड़ने से पहले (दोनों चित्रों में दिखाए गए) लोगों की जीविका के स्रोत के बारे में अनुमान लगा सकते हैं? (गाँव के संदर्भ में)
- (ङ) ज्ञात करें कि किसी राहत शिविर में प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को किस तरह की मदद दी जाती है।
- (च) क्या आपने इस तरह के पीड़ितों की कभी (धन, खाद्य, कपड़ों, दवाओं आदि के रूप में) सहायता की है?

परियोजना कार्य : भारत में अकाल संबंधी और सूचनाएँ एकत्र करें।



भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं, जहाँ अकाल जैसी दशाएँ अनेक वर्षों से बनी हुई हैं और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहाँ भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पालामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

खाद्य-असुरक्षित कौन हैं?

यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं : भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएँ प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा-मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम-बाज़ार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं।

रामू की कहानी

रामू रायपुर गाँव में कृषि क्षेत्रक में एक अनियत खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू दस वर्ष का है। वह भी गाँव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ़ एक हजार रुपये मिलते हैं। रामू के तीन और बेटे और दो बेटियाँ हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफ़ाई करने और गोबर हटाने का काम (अंशकालिक) करती है। उसे अपने रोज़ाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिल कर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधा-रोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग चार महीने बेरोज़गार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी-कभी उसे ईंट भट्टे में या गाँव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नकद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है, जिससे वह अपने परिवार के दो जून के भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ें जुटा सके। बहरहाल, जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कभी-कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जियाँ भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोज़गारी के चार महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है।





आइडु चर्चा करें

- कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है?
- रामू वर्ष के लगभग चार महीने बेरोज़गार क्यों रहता है?
- जब रामू बेरोज़गार होता है, तो वह क्या करता है?
- रामू के परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है?
- कोई भी काम पाने में असमर्थ होने पर, रामू को कठिनाई क्यों होती है?
- रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है?

अहमद की कहानी

अहमद बंगलोर में रिक्षा चलाता है। वह अपने तीन भाइयों, दो बहनों और बूढ़े माँ-बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वह एक झुमरी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन-पोषण रिक्षा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल, उसका रोज़गार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती-बढ़ती रहती है। कभी-कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के पश्चात् अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है, जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ ही खरीद सके। सौभाग्यवश, अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है, जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पी.डी.एस. कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक ज़रूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीज़ों को बाज़ार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है, जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन-पोषण कर रहा है, जहाँ वह अकेला कमाने वाला सदस्य है।



आइडु चर्चा करें

- क्या रिक्षा चलाने से अहमद को नियमित आय होती है?
- रिक्षा चलाने से होने वाली थोड़ी सी आय के बावजूद पीला कार्ड अहमद को अपना परिवार चलाने में कैसे मदद कर रहा है?
- रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है?

खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों (इनमें से निचली जातियाँ) का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएँ प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों, जैसे, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ

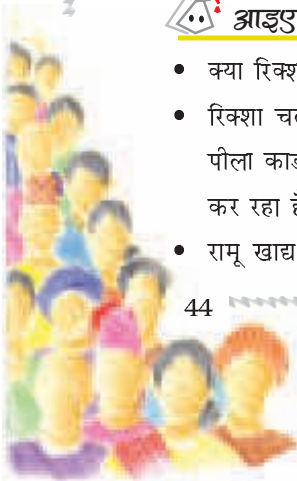
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पारिवारिक सर्वेक्षण (एन.एच.एफ़.एस.)

1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है।



गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर-क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार-बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में, उत्तर प्रदेश (पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्से), बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है।

भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं / या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के



कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबद्ध है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे, बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह की भुखमरी तब होती है, जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है।

सारणी 4.2 में दिखाया गया है कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है।

सारणी 4.2 : भारत में 'भुखमरी' से ग्रस्त परिवारों का प्रतिशत

वर्ष	भुखमरी के प्रकार		
	मौसमी	दीर्घकालिक	कुल
ग्रामीण			
1983	16.2	2.3	18.5
1993-94	4.2	0.9	5.1
1999-2000	2.6	0.7	3.3
शहरी			
1983	5.6	0.8	6.4
1993-94	1.1	0.5	1.6
1999-2000	0.6	0.3	0.9

स्रोत : सागर 2004, विद्या (देखें इस अध्याय का 'संदर्भ')

स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय नीति-निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नयी रणनीति अपनाई, जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूँ और चावल के उत्पादन में।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई, 1968 में 'गेहूँ क्रांति' शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्रक में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूँ की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल, अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। पंजाब और हरियाणा में



चित्र 4.3 : पंजाब का एक किसान एच.वाई.वी. प्रकारों वाले गेहूँ के एक खेत के सामने, जिस पर हरित क्रांति आधारित है

सर्वाधिक वृद्धि-दर दर्ज की गई, जहाँ अनाजों का उत्पादन 1964-65 के 72.3 लाख टन की तुलना में बढ़कर कर 1995-96 में 3.03 करोड़ टन पर पहुँच गया, जो अब तक का सर्वाधिक ऊँचा रिकार्ड था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पादन का स्तर पिछड़ता रहा। दूसरी तरफ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

शुद्धाई गई क्रियाएँ

- निकट के किसी गाँव में कुछ खेतों पर जाएँ और किसानों द्वारा उपजाई गई खाद्य फसलों का ब्यौरा एकत्रित करें।

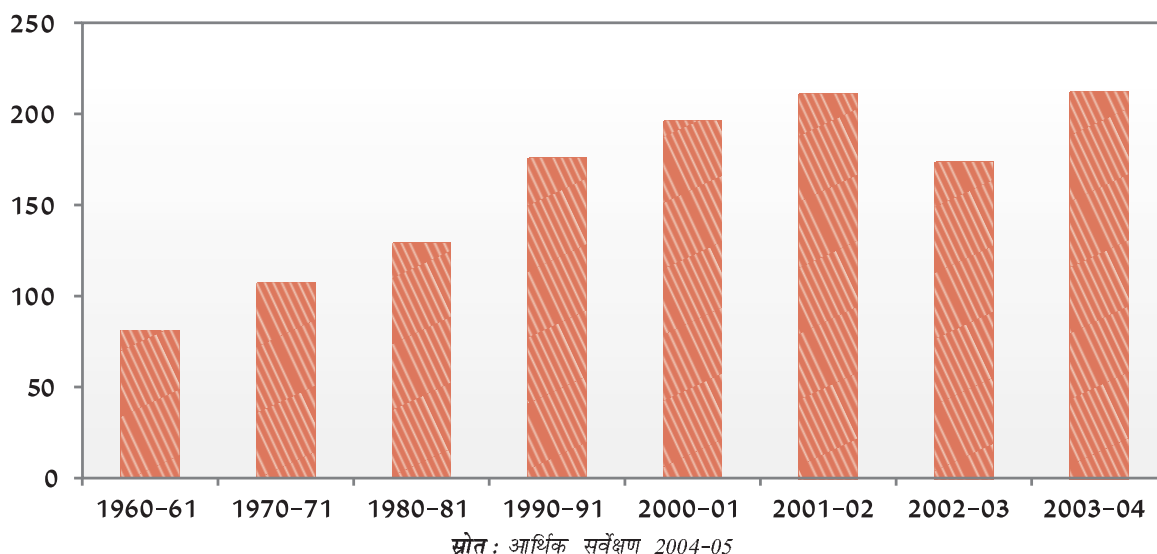
भारत में खाद्य सुरक्षा

70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है।

देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले तीस वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में (खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से) अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। इस व्यवस्था के दो घटक हैं: (क) बफर स्टॉक और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली।



आरेख 4.1 : भारत में अनाज की उपज
(करोड़ टन)



आइए चर्चा करें

आरेख 4.1 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें :

- हमारे देश में किस वर्ष में अनाज उत्पादन 200 करोड़ टन प्रतिवर्ष से अधिक हुआ?
- भारत में किस दशक में अनाज उत्पादन में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई?
- क्या 2000-01 से भारत में उत्पादन में वृद्धि स्थायी है?

बफर स्टॉक क्या है?

बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूँ और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को **न्यूनतम समर्थित कीमत** कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार

बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को **निर्गम कीमत** भी कहते हैं। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है?

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गाँवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 4.6 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में, जिन्हें **उचित दर वाली दुकानें** कहा जाता है, चीनी खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा (जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि) निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है।



राशन कार्ड तीन प्रकार के होते हैं : (क) निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, (ख) निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बी पी एल कार्ड और (ग) अन्य लोगों के लिए ए पी एल कार्ड।

सुझाई गई क्रियाएँ

- अपने इलाके की राशन की दुकान पर जाएँ और वहाँ से निम्नलिखित ब्यौरा प्राप्त करें :
 - 1 राशन की दुकान कब खुलती है?
 - 2 राशन की दुकान पर कौन-कौन सी चीजें बेची जाती हैं?
 - 3 राशन की दुकान के चावल और चीनी (निर्धनता की रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए) की कीमत की तुलना किसी अन्य किराने की दुकान की कीमतों से करें।
- पता लगाएँ :
 - 1 क्या आपके पास राशन कार्ड है?
 - 2 इस राशन कार्ड से आपके परिवार ने हाल में कौन-सी चीज खरीदी है?
 - 3 क्या उन्हें किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
 - 4 राशन की दुकानें क्यों जरूरी हैं?



चित्र 4.4

भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य एन.एस.एस.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी तीन महत्वपूर्ण अंतःक्षेप कार्यक्रम प्रारंभ किए गए: **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** (जो पहले से ही थी, लेकिन उसे और मजबूत किया गया), **एकीकृत बाल विकास सेवाएँ** (आई.सी.डी.एस., जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई) और **काम के बदले अनाज** (एफ.एफ.डब्ल्यू, 1977-78 में प्रारंभ)। इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक **गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम** (पी.ए.पी.) चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है, जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर पी.ए.पी. भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं, रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं।

सुझाए गए क्रियाकलाप

सरकार की ओर से शुरू किए गए खाद्य पर आधारित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी एकत्र करें।
 संकेत: ग्रामीण वेतन रोजगार कार्यक्रम, रोजगार गारंटी योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, दोपहर का भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवाएँ आदि।
 अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर-निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के वर्षों में सार्वजनिक



राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 14, नवंबर 2004 को पूरक श्रम रोजगार के सृजन को तीव्र करने के उद्देश्य से देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम उन समस्त ग्रामीण गरीबों के लिए है, जिन्हें वेतन रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं। इसे शत-प्रतिशत वेंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया और राज्यों को निःशुल्क अनाज मुहैया कराया जाता रहा है। जिला स्तर पर कलक्टर शीर्ष अधिकारी है और उन पर इस कार्यक्रम की योजना बनाने, कार्यान्वयन, समन्वयन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी है। वर्ष 2004-05 में इस कार्यक्रम के लिए 20 लाख टन अनाज के अतिरिक्त 2,020 करोड़ रुपये नियत किए गए हैं।



वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आर पी डी एस) शुरू

की गई। इसका लक्ष्य दूर-दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुँचाना था। जून 1997 से 'सभी क्षेत्रों में गरीबों' को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर-निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा, 2000 में दो विशेष योजनाएँ—अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई। ये योजनाएँ क्रमशः 'गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब' और 'दीन वरिष्ठ नागरिक' समूहों पर लक्षित हैं। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश सारणी 4.3 में दिया गया है।

इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों

सारणी 4.3 : सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ

योजना का काम	आरंभ का वर्ष	लक्षित समूह	अद्यतन मात्रा	निर्गम कीमत (रु. प्र.कि.)
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	1992 तक	सर्वजनीन	-	गेहूँ - 2.34 चावल - 2.89
संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	1992	पिछड़े ब्लॉक	20 कि. खाद्यान्न	गेहूँ - 2.80 चावल - 3.77
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	1997	निर्धन और गैर-निर्धन	35 कि. खाद्यान्न	बी पी एल - गेहूँ - 2.50 चावल - 3.50 ए पी एल - गेहूँ - 4.50 चावल - 7.00
अंत्योदय अन्न योजना	2000	निर्धनों में सबसे निर्धन	35 कि. खाद्यान्न	गेहूँ - 2.00 चावल - 3.00
अन्नपूर्णा योजना	2000	दीन वरिष्ठ नागरिक	10 कि. खाद्यान्न	निःशुल्क

नोट : बी पी एल: निर्धनता रेखा से नीचे, ए पी एल : निर्धनता रेखा से ऊपर।

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण



से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की है।

तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएँ हो रही हैं। एफ.सी.आई. के भंडार अनाज से भरे हैं। कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। नीचे दिया गया आरेख 4.2 वर्ष 2002 तक खाद्यान्न के बढ़ते हुए स्टॉक को दिखाता है।

आओ चर्चा करें

आरेख 4.2 का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

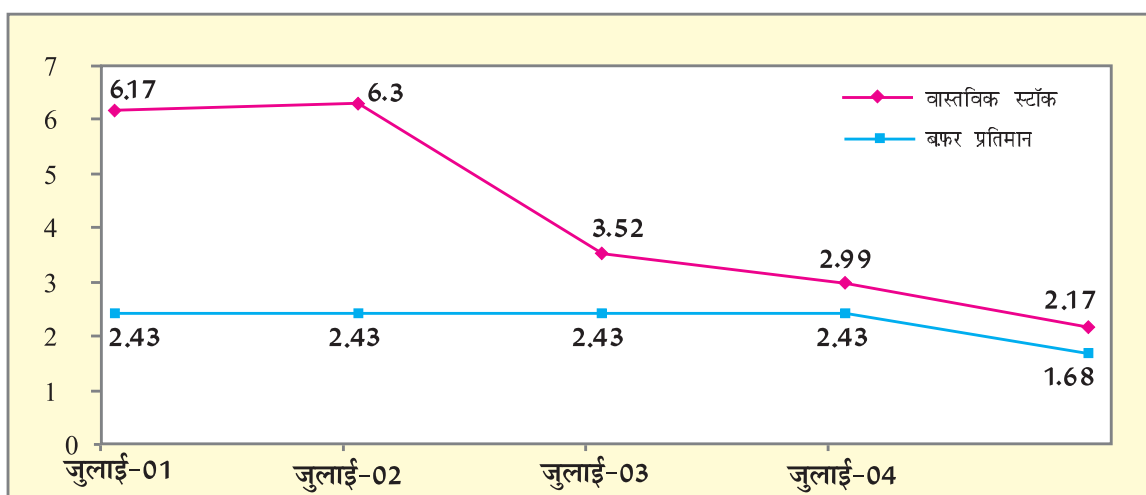
- हाल में किस वर्ष में सरकार के पास खाद्यान्न का स्टॉक सबसे अधिक था?
- एफ.सी.आई. का न्यूनतम बफर स्टॉक प्रतिमान क्या है?
- एफ.सी.आई. के भंडारों में खाद्यान्न ठसाठस क्यों भरा हुआ है?

अंत्योदय अन्न योजना

अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर प्रत्येक पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ा कर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बी.पी.एल. परिवार दो बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई।

सहायिकी (सब्सिडी) वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायिकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊँची आय कायम रखते हुए, उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है।

आरेख 4.2 : केंद्रीय खाद्यान्न (गेहूँ+चावल) स्टॉक और न्यूनतम बफर प्रतिमान (करोड़ टन)



स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, 2004-05



जुलाई 2002 में एफ.सी.आई. के पास गेहूँ और चावल का भंडार 6.3 करोड़ टन था जो 2.43 करोड़ टन के न्यूनतम बफ़र प्रतिमान से बहुत अधिक था। सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न राहत कार्यों के कारण, 2002-03 में भंडार कम हो गया क्योंकि इस वर्ष को वर्षा न होने के कारण सूखे का वर्ष घोषित कर दिया गया। बाद के वर्षों में भंडार में कमी आई। फिर भी यह बफ़र स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊँचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ। अनाज वितरण से हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफ़र स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रख-रखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्ष के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा, चूँकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक पश्चिम बंगाल) में मुख्यतः दो फसलों-गेहूँ और चावल तक सीमित है, न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषतया खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूँ उपजाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन है। धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया है।

न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। एफ.सी.आई. की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और बढ़ा दिया है।

चिंता का एक और प्रमुख कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विफलता रही है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि अखिल भारतीय स्तर पर पी.डी.एस. खाद्यान्नों की औसत उपभोग मात्रा 1 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह है। बिहार,



चित्र 4.5 : भंडारों में खाद्यान्न ले जाते हुए किसान

उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में प्रतिव्यक्ति उपभोग का आँकड़ा 300 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह से भी कम है। इसके विपरीत केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे अधिकतर दक्षिणी राज्यों में और हिमाचल प्रदेश में औसत उपभोग 3-4 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह के बीच है। फलस्वरूप, निर्धनों को अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए राशन दुकान के बजाय बाज़ार पर निर्भर होना पड़ता है। मध्य प्रदेश में निर्धनों द्वारा गेहूँ और चावल के उपभोग का मात्र पाँच प्रतिशत राशन की दुकानों के माध्यम से पूरा होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में यह प्रतिशत और भी कम है।

पी.डी.एस. डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाज़ार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी-कभार खोलना जैसे अपचार करते हैं। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं पाता। यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पातीं, तो एफ.सी.आई. के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या गैर-निर्धन राशन कार्ड था जिसमें चावल, गेहूँ, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे।



आज आप जो तीन प्रकार के कार्ड और कीमतों की शृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इनमें निम्न आय वर्ग के परिवार शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार की आय से थोड़ी ही अधिक थी। अब तीन भिन्न कीमतों वाले टी.पी.डी.एस. की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। ए.पी.एल. परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊँची हैं जितनी खुले बाज़ार में, इसलिए राशन की दुकान से इन चीज़ों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त है।

सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका

भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियाँ भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियाँ निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरणार्थ, तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं, उनमें से करीब 94 प्रतिशत सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं।

दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियाँ उपलब्ध कराने में तेज़ी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध तथा दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है।

इसी तरह, महाराष्ट्र में एकेडमी आफ डेवलपमेंट साइंस (ए.डी.एस.) ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर-सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। ए.डी.एस. गैर-सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे-धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना, गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में ए.डी.एस. की कोशिश रंग ला रही है। ए.डी.एस. अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है।



सारांश

किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है, जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है। सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है और भोजन तक पहुँचने में कोई अवरोध नहीं होता। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव ही असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषक तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त है, सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियत श्रमिक हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है जैसे, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहाँ बहुत अधिक गरीबी है, जनजातियों वाले व दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसके दो घटक हैं: (क) बफर स्टॉक और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल था। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं: एकीकृत बाल विकास सेवाएँ, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियाँ और गैर-सरकारी संगठन भी हैं, जो इस दिशा में तेज़ी से काम कर रहे हैं।





अभ्यास

1. भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है?
2. कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं?
3. भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं?
4. क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? कैसे?
5. भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्य से वंचित है? व्याख्या कीजिए।
6. जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है?
7. मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद कीजिए?
8. गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं दो योजनाओं की चर्चा कीजिए।
9. सरकार बफ़र स्टॉक क्यों बनाती है?
10. टिप्पणी लिखें :
(क) न्यूनतम समर्थित कीमत
(ख) बफ़र स्टॉक
(ग) निर्गम कीमत
(घ) उचित दर की दुकान
11. राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्याएँ हैं?
12. खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखें।



संदर्भ

- देव, एस. महेंद्र, कानन, के.पी. और रामचंद्रन, नीरा (सं.), 2003, 'टुआर्डस ए फूड सिक्योर इंडिया: इश्यूज़ एंड पॉलिसीज़, इंस्टीच्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, नयी दिल्ली।
- एफ.ए.ओ. 1996, *वर्ल्ड फूड सम्मिट 1995*, फूड एण्ड एग्रीकल्चरल ऑर्गनाइजेशन, रोम।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2002-03, 2003-04, 2004-05, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली।
- आई.आई.पी.एस. 2000, *नेशनल हेल्थ एंड फैमली सर्वे-2*, इंटरनेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज़, मुंबई।
- सागर, विद्या, 2004, *फूड सिक्युरिटी इन इंडिया*, पेपर प्रजेंटेट इन ए.डी.आर.एफ.-आई.एफ.आर.आई. फ़ाइनल मीटिंग ऑन फ़ूड सिक्युरिटी इन इंडिया, सितंबर 10-11, नयी दिल्ली।
- सक्सेना, एन.सी., 2004, *सेनेरजाइजिंग गर्वमेंट एफर्ट फॉर फ़ूड सिक्युरिटी*, स्वामीनाथन, एम.एस. और मेडरानो, पैट्रो, (सं.) में, टुआर्डस हंगर फ्री इंडिया, ईस्ट-वेस्ट बुक्स, चेन्नई।
- सक्सेना, एन.सी., 2004, *रिऑर्गनाइजिंग पॉलिसीज़ एंड डेलेवरी फॉर एलीवियेटिंग हंगर एंड मालन्यूट्रिशन*, नेशनल फूड सिक्युरिटी सम्मिट, नयी दिल्ली में प्रस्तुत पर्चा।
- सेन, ए.के., 1983, *पॉवर्टी एंड फैमिस : एन ऐसे ऑन इनटर्नलमेंट एंड डेप्रिवेशन*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- शर्मा, रेखा और मीनाक्षी, जे.वी., 2004, *माइक्रोन्यूट्रियेंट डिफिसिएन्सीज़ इन रूरल डाइट्स*, टुआर्डस हंगर फ्री इंडिया: फ़ॉम विजन टू एक्शन, प्रोसीडिंग्स ऑफ कंसलटेशन ऑन 'टुआर्डस हंगर फ्री इंडिया : काउंट डाउन फ़ॉम 2007' नयी दिल्ली।
- यू.एन. 1975, *रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड फूड कॉन्फ़्रेंस 1975 (रोम)*, यूनाइटेड नेशंस, न्यूयार्क।

